



झारखण्ड एंटी ट्रैफिकिंग नेटवर्क (जतन) के साथी संस्थाओ की सूचि:

क्र.	संस्था का नाम	जिम्मेवार व्यक्ति	संपर्क नं.
1	छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ, राँची cssrnchjh@gmail.com	सच्ची कुमारी	9504900583
2	आली, राँची reshu.gfatm@gmail.com	रेशमा सिंह	9693853019
3	सृजन फाउंडेशन, हजारीबाग srijanfoundationjkd@gmail.com	पूजा	9431141046
4	लोक प्रेरणा केन्द्र, चतरा lpkngo2@gmail.com	मौसमी बाखला	8292960482
5	महिला मुक्ति संस्था, हजारीबाग mmsdeoyani@gmail.com	देवयानी वर्मा	9931117872
6	लहंती, दुमका lahanti@rediffmail.com	बिटिया मुर्मू	9973150445
7	सृजन महिला विकास मंच, प. सिंहभूम secretary_snmv@yahoo.co.in	नरगिस खातून	7250808015
8	सहभागी विकास सिमडेगा sahbhagi_sim@rediffmail.com	अवधेस कुमार	9431327587
9	स्पार्क, लोहरदगा spark.5651@yahoo.co.in	मो. फातमी	9334256513
10	प्रेरणा भारती, देवघर Preranabharati10@gmail.com	सुश्री कांति गुप्ता	9006946771
11	रास्ता, गोड्डा rastatheway@rediffmail.com	अजय कुमार	9955480860
12	जागो फाउंडेशन, गिरिडीह Jagofoundation97@gmail.com	बैधनाथ कुमार	9430315117
13	राष्ट्रीय झारखण्ड सेवा संस्थान, कोडरमा rjss@rediffmail.com	मनोज दांगी	9939298583
14	सिन्दुआर टोला ग्रामोदय विकास विद्यालय, खूँटी राँची sgvvranchi@gmail.com	राजन कुमार	9431772931

विकेन्द्रीकरण ! पारदर्शिता ! सहभागिता !

जतन

झारखण्ड एंटी ट्रैफिकिंग नेटवर्क

सुरक्षित पलायन और गतिशिलता को बढ़ावा देने हेतु एक नेटवर्क

Jharkhand Anti Trafficking Network (JATN)

Coordination Office :

Srijan Foundation, 202, Prithvi Homes,
Near Dipatoli, Gate No. 1, Bandhgari,
Ranchi - 834009 (Jharkhand)

E-mail: jrcjatn@gmail.com

Contact : 094311 - 41046, 06546 - 270523

परिचय

झारखण्ड एंटी ट्रैफिकिंग नेटवर्क (जतन) ग्रासरूट स्तर पर काम करने वाली संस्थाओं का एक नेटवर्क है जो पिछले ग्यारह सालों से झारखण्ड राज्य में महिला व्यापार की रोकथाम और सुरक्षित पलायन को बढ़ावा देने हेतु प्रयासरत है। वर्तमान में "जतन" राज्य के 13 जिलों में कार्यरत 14 चयनित संस्था साथियों के सहयोग से महिला गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए अधिकार आधारित सोच एवं प्रक्रिया के साथ कार्य कर रही है।

पृष्ठभूमि

झारखण्ड से प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में महिलाओं का पलायन देश के महानगरों में होता रहता है। यह देखा गया है कि इनमें से अधिकांश महिलाएँ घरेलू काम या अन्य कामों के लिए पलायन करती हैं और साथ में यह भी देखा गया है कि "शादी" के नाम पर भी यहाँ से बड़ी संख्या में लड़कियों को बाहर ले जाया जाता है जहाँ आगे चलकर लड़कियाँ/महिलाएँ आर्थिक, शारीरिक, यौन शोषण एवं ट्रैफिकिंग की शिकार होती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में महिलाओं के अधिकारों घोर हनन होता है।

अतः 'जतन' झारखण्ड राज्य में सुरक्षित पलायन को बढ़ावा देने एवं महिला गतिशीलता के अधिकार को सुनिश्चित करने हेतु कार्यरत है।

दृष्टि

ऐसे वातावरण का निर्माण करना जहाँ पलायन करने वाली महिलाएँ आजादी, सुरक्षा, प्रतिष्ठा और अपने अधिकारों के साथ स्वयं की परिस्थिति/जिंदगी की स्थिति को सुधारने के अवसर का प्रयोग कर सकें।

उद्देश्य

- » पलायन एवं ट्रैफिकिंग मुद्दे पर काम करने वाले संस्था एवं नेटवर्क का सुरक्षित पलायन के मुद्दे पर क्षमता विकास एवं आपसी समन्वय स्थापित कर

सामूहिक प्रयास को बढ़ावा देना।

- » पलायन करने वाली महिला और अन्य हित धारकों/हितग्राहियों को सुरक्षित पलायन के मुद्दे और उनसे जुड़े अधिकारों पर जागरूक कर सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना।
- » स्रोत (source) एवं गंतव्य (destination) स्थल पर पलायन करने वाली महिलाओं का पलायन के दौरान कार्य स्थल में सुधार और उनसे जुड़े अधिकारों, कानूनी सेवा और इंसोफ तक पहुँच बनाना।
- » सुरक्षित पलायन के प्रोत्साहन हेतु सम्बंधित कानूनों एवं नीतियों का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना तथा तथ्य आधारित वकालत करना।

रणनीति

- » अधिकार आधारित प्रक्रिया
- » सूचना का संग्रहण और विस्तारण
- » क्षमता विकास
- » न्याय के लिए हस्तक्षेप
- » राज्य एवं अंतर्राज्य नेटवर्किंग
- » एडवोकेसी / नेटवर्किंग

गतिविधियाँ

- » **झारखण्ड संसाधन केंद्र** : इस केंद्र के द्वारा सुरक्षित पलायन से सम्बंधित कानूनों, नीतियों, दस्तावेजों का संग्रहण, सरलीकरण और विस्तारण का कार्य किया जाता है।
- » **जागरूकता कार्यक्रम** : पलायन करने वालों का संगठन निर्माण और स्रोत एवं गंतव्य स्थल पर उनके अधिकारों के प्रति

जागरूकता कार्यक्रम करना।

पलायन के लिए अति संवेदनशील क्षेत्रों में "सूचना केंद्र" के माध्यम से सुरक्षित पलायन से सम्बंधित मुद्दों और अधिकारों के प्रति जागरूक करना।

- » **इंसोफ/न्याय तक पहुँच के लिए हस्तक्षेप** : केस वर्क और फैक्ट फाइंडिंग के द्वारा पलायन के दौरान या कार्य स्थल में शोषण व अधिकारों के हनन से प्रभावित लोगों को कानूनी सहयोग करना।
- » **क्षमता विकास** : "जतन" व दुसरे सम्बंधित नेटवर्क एवं अन्य हितग्राहियों के साथ नियमित रूप से बैठक, प्रशिक्षण, एक्सपोज़र, परिचर्चा का आयोजन करना।
- » **नेटवर्किंग** : पलायन करने वाली महिला के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य एवं अन्तर्राज्यीय संस्थानों और अन्य हितग्राहियों के साथ नेटवर्क स्थापित करना।
- » **एडवोकेसी** : सुरक्षित पलायन से सम्बंधित कानूनों एवं नीतियों के क्रियान्वयन के लिए तथ्य आधारित (evidence based) वकालत करना।
- » **अध्ययन, शोध करना और सम्बंधित दस्तावेजीकरण**

कार्य क्षेत्र

